अनुसार आगामी पेशी

आदेश.......................................

दिनांक......5/2/24......... को पेश हो।

3/24

5/2/2024 पत्रावली प्रस्तुत। प्रतिवादी के अधिवक्ता उपस्थित। बहस कुरेजात हेतु समय चाहा। एक अन्तिम अवसर दिया जाता है कि आ.ता.पेशी पर बहस नहीं करने पर गुणावगुण व अग्रिम कार्यवाही अनुसार कार्यवाही की जावेगी। वादी की ओर से कोई उप-नहीं है पत्रावली दिनांक 14/2/24 को पेश हो।

5.2.24

सहायक कलक्टर
आमेर प्र. जयपुर

14/2/2024 पत्रावली प्रस्तुत। वादी व वादी के अधिवक्ता अनुपस्थित है। प्रतिवादी अधिवक्ता उपस्थित

आज्ञा विस्तृत रूप से

पत्रावली में दिनांक 30/9/2022 को कुरैनात रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरान्त उभयपक्ष ने बहस नहीं की है आज भी प्रतिवादी ने बहस नहीं की है। तथा गत पेशी पर गुणावगुण के आधार पर निर्णय के आदेश किये गये थे। अतः मुताबिक कुरैनात रिपोर्ट वाद वादी डिक्री किया जाता है। विस्तृत निर्णय व डिक्री पृथक से लिखवाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर
आमेर म. जयपुर

Scanned with CamScanner

न्यायालय :— सहायक कलेक्टर आमेर,

मुख्यालय जयपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारी : सुनील शर्मा

आर.ए.एस.

नियमित वाद संख्या —04 / 2011 वाद प्रस्तुति दिनांक —05.01.2011

सत्यनारायण पुत्र स्व. श्री बिरदीचंद जाति महाजन उम्र 59 वर्ष, निवासी ग्राम राधाकिशनपुरा, तहसील आमेर, जिला जयपुर।

............वादी

बनाम

1. भागचंद पुत्र स्व. बिरदीचंद जाति महाजन निवासी कमानी फैक्ट्री के पीछे, दादी का फाटक, बैनाड रोड, मंगल टेन्ट वाली गली, जयपुर।
2. दामोदर पुत्र स्व. बिरदीचंद जाति महाजन निवासी कमानी फैक्ट्री के पीछे, दादी का फाटक, बैनाड रोड, मंगल टैंट वाली गली, जयपुर। हाल कृष्णपुरा, तहसील आमेर जयपुर।
3. लव पुत्र स्व. नेमीचंद उम्र 4 वर्ष
4. रबू उर्फ लवली पुत्री नेमीचंद उम्र 9 वर्ष
नाबालिग जरिये संरक्षक ताउ दामोदर पुत्र बिरदीचंद महाजन निवासी राधाकृष्णपुरा, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार आमेर तहसील आमेर, जिला जयपुर।
6. उप पंजीयक आमेर, तहसील आमेर, जिला जयपुर।

................प्रतिवादीगण

वाद बाबत तकासमा, एवं स्थाई निषेधाज्ञा अंतर्गत धारा— 53, 188

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

दिनांक 14.02.2024

हस्तगत वाद के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि वादी व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 एक ही परिवार के सदस्य है तथा वादी व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 की संयुक्त खाते व कब्जे—काश्त की आराजी की खसरा नंबर 11 रकबा 0.30 हैक्टेयर, खसरा नंबर 15 रकबा 0.76 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 1.07 हैक्टेयर वाके राजस्व ग्राम राधाकिशनपुरा, पटवार हल्का राधाकिशनपुरा भू—अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र जाहोता तहसील आमेर जिला जयपुर स्थित है। वादी का 1/4 हिस्सा दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। समस्त सहकृषक आराजी मुतनाजा पर मनबंट से बाहमी बंटवारा कर काबिज काश्त है। आराजी मुतनाजा का

सहायक कलेक्टर
आमेर मु. जयपुर

Scanned with CamScanner

विधिक रूप से आज तक तकासमा नहीं हुआ है समस्त सहकृषक शामलाती रूप से लगान एक जगह ही जमा करवा रहे हैं।

प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 विवादग्रस्त भूमि मे वादी को बेदखल करना चाहते हैं जिसका उन्हें कोई कानूनी अधिकार नहीं है। वादी को कानूनी अधिकार हासिल है कि संयुक्त खाते कब्जे की आराजी मुतनाजा का मीट्स एण्ड बाउण्डस मे तकासमा करवाकर अपने हिस्से का खाता व लगान अलग करावे। अतः वाद पत्र पेश कर निवेदन है कि भूमि वादग्रस्त का विभाजन कर वादी को उसके हिस्से की भूमि का अलग खाता व लगान कायम करें व प्रतिवादीगण सख्या 1 लगायत 4 को जरिये अरथाई निषेधाज्ञा से पाबंद करवाए कि वे विवादित भूमि में वादी के हिस्से कब्जे की आराजी में दखलअंदाजी न करें।

वाद प्रस्तुति के उपरान्त प्रकरण नियमानुसार दर्ज पंजिका किया गया तथा तलबी प्रतिवादीगण आदेशित किया गया।

पत्रावली आज दिनांक 13.06.2017 को राजस्व कैम्प राधाकिशनपुरा में पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। वाद वादी मिट्स एण्ड बाउण्डस के आधार पर दिनांक 13.06.2017 को प्राथमिक डिक्री किया गया। तहसीलदार आमेर जयपुर को कुर्रेजात प्रस्ताव बनाकर भिजवाने हेतु आदेशित किया गया।

तहसीलदार आमेर तहसील आमेर से कुर्रेजात रिपोर्ट प्राप्त हुई। प्रकरण वर्ष 2022 से कुर्रेजात प्राप्त होने पर उभयपक्षों द्वारा ना तो कोई आपत्ति कुर्रेजात पेश की ना ही बहस की। बहस व आपत्ति हेतू अनेक अवसर दिये गये। गत पेशी दिनांक पर आदेशित किया गया था कि बहस नहीं करने पर गुणावगुण के आधार पर निर्णय किया जावेगा। परन्तु उभयपक्ष अनुपस्थित है। तथा वाद को अधिक समय तक लम्बित रखना चाहते हैं। अतः गुणावगुण के आधार पर निर्णय किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण बंटवारे का है बंटवारा होना है, कुर्रेजात रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है तथा कोई आपत्ति पेश नहीं की गई है। अतः तहसीलदार आमेर से प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट के आधार पर वादपत्र को निम्न प्रकार अंतिम डिक्री किया जाता है:–

सहायक कलेक्टर
आमेर प्र. जयपुर

Scanned with CamScanner

सत्यनारायण पुत्र सूरजमल जाति महाजन सा. देह खातेदार के हिस्से में खसरा नंबर 11/1 रकबा 0.0775 हैक्टेयर, खसरा नंबर 15/1 रकबा 0.1900 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 0.2675 हैक्टेयर भूमि रहेगी। जिसे संलग्न नक्शे में लाल रंग में दर्शाया गया है।

दामोदर पुत्र सूरजमल हिस्सा 1/3 जाति महाजन सा. देह खातेदार, नेमीचंद पुत्र सूरजमल हिस्सा 1/3 सा. देह खातेदार, भागचंद पुत्र सूरजमल हिस्सा 1/3 जाति महाजन सा. देह खातेदार के हिस्से खसरा नंबर 11/2 रकबा 0. 2325 हैक्टेयर, खसरा नंबर 15/2 रकबा 0.5700 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 0.8025 भूमि रहेगी। जिसे संलग्न नक्शे में हरे रंग से दर्शाया गया है।

अतः वादी का वाद मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट डिक्री किया जाता है। उभयपक्ष मुताबिक निर्णय अनुसार एक दूसरे के हिस्से में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नही करेंगे। अन्तिम डिक्री जारी हो। पत्रावली निर्णित शुमार की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर
आमेर मु0 जयपुर

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर

Scanned with CamScanner

अंतिम डिक्री मुकददमा इब्तदाई

(ऑ 20 रूल्स 6 व 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालत सहायक कलेक्टर आमेर, मु0 जयपुर
पीठासीन अधिकारी सुनील शर्मा (आर.ए.एस)

नियमित वाद सख्या –04/2011

वाद प्रस्तुति दिनांक –05.01.2011

सत्यनारायण पुत्र स्व. श्री बिरदीचंद जाति महाजन उम्र 59 वर्ष, निवासी ग्राम राधाकिशनपुरा, तहसील आमेर, जिला जयपुर।

............वादी

बनाम

1. भागचंद पुत्र स्व. बिरदीचंद जाति महाजन निवासी कमानी फैक्ट्री के पीछे, दादी का फाटक, बैनाड रोड, मगल टेन्ट वाली गली, जयपुर।
2. दामोदर पुत्र स्व. बिरदीचद जाति महाजन निवासी कमानी फैक्ट्री के पीछे, दादी का फाटक, बैनाड रोड, मंगल टैंट वाली गली, जयपुर। हाल कृष्णपुरा, तहसील आमेर जयपुर।
3. लव पुत्र स्व. नेमीचंद उम्र 4 वर्ष
4. रबू उर्फ लवली पुत्री नेमीचंद उम्र 9 वर्ष
   नाबालिग जरिये संरक्षक ताउ दामोदर पुत्र बिरदीचंद महाजन निवासी राधाकृष्णपुरा, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार आमेर तहसील आमेर, जिला जयपुर।
6. उप पंजीयक आमेर, तहसील आमेर, जिला जयपुर।

...............प्रतिवादीगण

वाद बाबत घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा
अंतर्गत धारा– 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय दिनांक 14.02.2024

मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट वादपत्र को निम्न प्रकार अंतिम डिक्री किया जाता है:–

1. सत्यनारायण पुत्र सूरजमल जाति महाजन सा. देह खातेदार के हिस्से में खसरा नंबर 11/1 रकबा 0.0775 हैक्टेयर, खसरा नंबर 15/1 रकबा 0.1900 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 0.2675 हैक्टेयर भूमि रहेगी। जिसे संलग्न नक्शे में लाल रंग में दर्शाया गया है।
2. दामोदर पुत्र सूरजमल हिस्सा 1/3 जाति महाजन सा. देह खातेदार, नेमीचंद पुत्र सूरजमल हिस्सा 1/3 सा. देह खातेदार, भागचंद पुत्र सूरजमल हिस्सा 1/3 जाति महाजन सा. देह खातेदार के हिस्से खसरा नंबर 11/2 रकबा 0.2325 हैक्टेयर, खसरा नंबर 15/2 रकबा 0.5700 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 0.8025 भूमि रहेगी। जिसे संलग्न नक्शे में हरे रंग से दर्शाया गया है।

सहायक कलेक्टर
आमेर मु. जयपुर

Scanned with CamScanner

प्रकरण संख्या – 04/2011
[illegible] – सत्यनारायण बनाम [illegible] वगै0
निर्णय दिनांक – 14.02.2024

उभयपक्ष मुताबिक निर्णय अनुसार एक दूसरे के हिस्से में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नही करेंगे।

बसरब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 14.02.2024 को जारी किया ।

दस्तखत ——

ओहदा ——

न्यायालय सहायक कलेक्टर आमेर जि0 जयपुर

सहायक कलेक्टर
आमेर जि0 जयपुर

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुदायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	2 रूपये	—	स्टाम्प अर्जी दावा	2 रूपये	—
स्टाम्प वकालतनामा	2 रूपये		स्टाम्प वकालतनामा	2 रूपये	
स्टाम्प वजह सबूत			स्टाम्प वजह सबूत		
महन्ताना वकील			महन्ताना वकील		
खर्चा गवाहन			खर्चा गवाहन		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बबत् इजराय हुक्मानामा			बबत् इजराय हुक्मानामा		
मुतफरित	4 रूपये		मुतफरित	4 रूपये	
मीजान			मीजान		

Scanned with CamScanner